

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक-

/24

सतना, दिनांक : 27.06.2024

(आदेश)


मैं, **अनीता खजुरिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **माह- जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2024** की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दायित्व कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। उक्त तिथियों में तहसील न्यायालयों के संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दायित्व कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे। -

क्र.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह-जुलाई	माह-अगस्त	माह-सितम्बर
1	2	3		
तहसील-रामपुर बाघेलान				
1	सुश्री प्रतिभा वास्कर	20, 21, 28	4, 11, 15, 17	21, 22, 7, 1
2	श्री मुकेश कुमार शिवहरे,	7, 14, 17	18, 19, 25, 27	15, 16, 8, 29
तहसील-अमरपाटन				
1	श्री वृजेश कुमार राजपूत	21, 28	17, 18, 19	21, 22, 29
2	सुश्री शालिनी उईके	07, 20,	25, 27	7, 8, 1
3	श्री विनोद कुमार वर्मा,	17, 14	4, 11, 15	15, 16
तहसील-नागौद				
1	श्रीमती मनीषा जैन तिवारी	28	4, 11	7, 8, 1
2	श्री वैभव पटेल	7, 14, 21	18, 19, 25	15, 16, 29
3	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार,	17, 20	15, 17, 27	21, 22
तहसील-मैहर				
1	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय	14, 21	11, 18, 27	7, 8
2	सुश्री निशा रघुवंशी	17, 28	15, 19	15, 16
3	श्रीमती भानू पंडवार	20	17, 25	21, 22
4	श्री उमेश भगवती	07	4	1, 29
तहसील-चित्रकूट				
1	श्री सौरभ गोस्वामी,	20, 21, 28	4, 11, 15, 17	7, 8, 21, 1
2	सुश्री रवीना चौधरी	7, 14, 17	18, 19, 25, 27	15, 16, 22, 29
तहसील-उचेहरा				
1	सुश्री शबाना खान,	समस्त	समस्त	समस्त

नोट:-

- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक-64/चार-1-1/2013/14 सतना, दिनांक-24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड डियूटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।
- पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड डियूटी होने पर आवश्यक कार्य आ जाने पर अवकाश लेने की स्थिति में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आपसी सहमति बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए रिमाण्ड डियूटी परिवर्तित कर सकेंगे।
- सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा-164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेगे।
- अचानक अवकाश घोषित होने पर माह जून 2024 में संबंधित तहसील मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे।


- 6- तहसील न्यायालय उचेहरा में न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर मुख्यालय सतना में रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे।
- 7- अवकाश अवधि में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रोटोकाल का कार्य भी सम्पादित करेंगे।


(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 17~~2~~3/24
प्रतिलिपि:-

सतना, दिनांक : 27.06.2024

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।


(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)